

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 882/21 / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में
------------------------	--------------------------------	----------------------------------


03/08/2020

जमाबंदीदार श्री / श्रीमती रघु मिश्रा जो फुलागल भिता / पति सुजात मिश्रा
 मौजा फुलागल थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- 2/84
 ... में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 133 / 66-67 के आधार पर दर्ज है।
 जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के एरिंग के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>फुलागल</u>	<u>256</u>	<u>211</u>	<u>05</u>	<u>0.20</u> <u>0.50</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 10/08/2020 को उपस्थापित करें।


 अंचल अधिकारी
 अड़की।

10/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के
नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती रघुनिर्वाण मुत्तिला

किर्वा पिता/पति एनवार किर्वा मौजा- सुतारवा थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा- सुतारवा थाना नं० 256 खाता सं० 211
प्लॉट सं०..... रकबा- 0.92 पघ लगान 0.62 रुपये अलावे


शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा- सुतारवा
..... थाना नं० 256 के पंजी- II भौलुम (VOL- II.....) के पृष्ठ संख्या- 484 पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।